सं0-4/757एस0ची0उ0अनु0-1/14-1506/2003

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

चीनी उघोग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2014

विषय:- श्री आर0पी0 निषाद, सहायक चीनी आयुक्त (सेवानिवृत्त) के स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिल रू0 4042.00 का प्री आडिट।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-40/लेखा प्री आडिट दिनांक 28 जून, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री आर0पी0 निषाद, सहायक चीनी आयुक्त (सेवानिवृत्त) के स्थानान्तरण कालातीत यात्रा भत्ता बिल रू0 4042.00 (रू0 चार हजार बयालीस मात्र) के भुगतान के संबंध में हुए विलम्ब के कारणों से संतुष्ट होते हुए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-2923/दस-3(1)6-65 दिनांक 18 सितम्बर, 1985 व शासनादेश संख्या-ए-1-3959/दस-3(1)6-65 दिनांक 23 जनवरी, 1986 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त कालातीत यात्रा भत्ता बिल की पूर्व लेखा सम्परीक्षा की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त यात्रा भत्ता बिल मूलरूप में संलग्नकों सहितह इस आश्य से वापस किया जाता है कि उक्त शासनादेशों के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasandesh.up.nic.in